न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/353

1. सखावत उल्लाखॉ आयु 88 साल आत्मज सालामत उल्ला खॉ जाति मुसलमान निवासी इमाम चौक के पास ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।
2. इनायत उल्ला खॉ आयु 45 साल आत्मज श्री सखावत उल्ला खॉ जाति मुसलमान निवासी इमाम चौक के पास ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली जिला बून्दी ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. मोहम्मद सलीम
2. मोहम्मद अलीम पिसरान मोहम्मद सिवली जाति मुसलमान निवासी जलदाय विभाग के सामने भवानीमण्डी जिला झालावाड ।
3. श्रीमती शमशाद बेगम बेवा मोहम्मद सिवली जाति मुसलमान निवासी जलदाय विभाग ऑफिस के सामने भवानीमण्डी जिला झालावाड (नाम तर्क) ।
4. शरीफन बेगम आयु 53 साल पुत्री मोहम्मद सिवली पत्नी जाति मुसलमान निवासी जलदाय ऑफिस के सामने भवानीमण्डी जिला झालावाड ।
5. फरजाना पुत्री मोहम्मद सिवली पत्नी श्री अब्दुल सुभान जाति मुसलमान निवासी खारी बावडी नाला मौहल्ला के पास मंगलपुरा झालावाड ।
6. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार, हिण्डोली जिला बून्दी ।
7. श्रीमान् उप पंजीयक, हिण्डोली जिला बून्दी ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र नारानीवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री कैलाश चन्द्र नामधराणी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 06.12.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली की कुल आराजी रकबा 14 बीघा 03 बिस्वा भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम दर्ज किया जावे तथा प्रतिवादीगण का नाम खातेदार के स्थान से विलोपित किया जावे

तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि वे से वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करे तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे तथा उक्त भूमि को किसी संस्था अथवा किसी व्यक्ति को रहन, बेचान नहीं करे ।

3. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादी का वाद खारिज करने एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत वाद को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम अलोद में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 के द्वारा वादी का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल किये जाने का निर्णय एवं डिक्री पारित की ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 के व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि राजस्व लोक अदालत में केवल सहमति के आधार पर ही निर्णय पारित किये जाते हैं । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । वादीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में उक्त वाद स्वत्व अधिकारों की घोषणा बाबत् पेश किया था । ऐसी वाद को अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण के आधार पर ही निर्णित किया जाना चाहिए था । प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे इस प्रकार पक्षकारान की बिना सहमति के उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 निरस्त फरमाया जावे एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जावे ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को राजस्व लोक अदालत में रखने का आदेश पारित किया था जिस पर पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये थे । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकारों का वाद प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नहीं है । वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेन्ट को आवंटित हुई थी । वादी अपीलान्ट का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 बहाल रखा जावे ।

.....

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत में रखते हुए निर्णय पारित कर दिया जबकि राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें पक्षकारान सहमत हों परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान सहमत नहीं थे ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रकरण को गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान दिनांक 30.01.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

11. निर्णय आज दिनांक 06.12.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा